भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महाराष्ट्र सरकार निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

विस्तृत हिंदी सारांश एवं अनुवाद
प्रत्येक अध्याय की व्याख्या, चूकें एवं सिफारिशें सहित

रिपोर्ट संख्या 7 / 2025

लेखापरीक्षण अवधि: 2019-20 से 2023-24
प्रस्तुतकर्ता: CAG, भारत सरकार

लेखापरीक्षण: जून 2024 – अगस्त 2024
Exit Conference: मई 2025

विषय-सूची

प्रारंभिक

प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि 3

कार्यकारी सारांश (Executive Summary) 4

अध्याय I

परिचय — MGNREGA का उद्देश्य, लक्ष्य, निधि प्रारूप 6

अध्याय II

लेखापरीक्षण ढांचा — उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं पद्धति 8

अध्याय III

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन 9

— वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 9

— कर्मचारियों की उपलब्धता (GRS, Mates, APO, TA) 11

— वित्तीय प्रबंधन एवं निधि विलंब 13

अध्याय IV

श्रमिकों का पंजीयन एवं मजदूरी भुगतान 14

— जॉब कार्ड, बेरोजगारी भत्ता, विलंब क्षतिपूर्ति 14

— मजदूरी भुगतान एवं PMAY अनियमितता 16

अध्याय V

कार्यों का क्रियान्वयन — अपूर्ण कार्य, गुणवत्ता दोष 17

अध्याय VI

निगरानी, सोशल ऑडिट एवं शिकायत निवारण 20

परिशिष्ट

संपूर्ण 8 सिफारिशें — एकत्रित सूची 22

प्रारंभिक

प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि

यह रिपोर्ट 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत महाराष्ट्र के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में 2019-20 से 2023-24 की पाँच वर्षीय अवधि में **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)** के क्रियान्वयन का लेखापरीक्षण किया गया है।

लेखापरीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के पूर्ण अनुपालन में संचालित किया गया। यह एक निष्पादन लेखापरीक्षा (Performance Audit) है जो यह जाँचती है कि योजना के उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण रहे।

34 जिले जहाँ योजना लागू है (36 में से — मुंबई व उपनगर छोड़कर)	**6 चयनित जिले** अहिल्यानगर, अमरावती, CSN, धाराशिव, नागपुर, पालघर	**48 ग्राम पंचायतें** प्रत्येक जिले से 2 ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक से 4 GP

लेखापरीक्षण दल ने **336 कार्यस्थलों का भौतिक सत्यापन** संबंधित GP अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया। इसके अतिरिक्त **480 जॉब कार्डधारकों का सर्वेक्षण** भी किया गया — प्रत्येक चयनित GP से 10 लाभार्थी। Entry Conference जुलाई 2024 में तथा Exit Conference मई 2025 में आयोजित हुई।

कार्यकारी

कार्यकारी सारांश (Executive Summary)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (जो 2009 में MGNREGA कहलाया) का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम **100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार** देना है। महाराष्ट्र में 1977 से महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम (MEGA) लागू था, जिसे संशोधित कर MGNREGA के अनुरूप बनाया गया।

2019-20 से 2023-24 के दौरान योजना पर कुल **₹13,518.30 करोड़** व्यय किया गया। इस अवधि में पंजीकृत परिवारों में 46% की वृद्धि हुई। किंतु लेखापरीक्षण में गंभीर कमियाँ उजागर हुईं।

📌 मुख्य निष्कर्ष — एक नज़र में

- पंजीकृत 117.98 लाख परिवारों में से केवल 19% ने रोजगार की मांग की
- रोजगार मांगने वालों में से मात्र 8.70% को 100 दिन+ रोजगार मिला
- 5.03 लाख कार्य अपूर्ण (19.57%); 7.10 लाख कार्य प्रारंभ ही नहीं हुए (27.62%)
- 2,258 ग्राम पंचायतों में GRS नहीं, 26/48 GP में Mate नहीं
- 48 चयनित GP में 5 वर्ष में केवल 25 सोशल ऑडिट — 72%–96% GP में ऑडिट नहीं
- ₹34.85 लाख बेरोजगारी भत्ते में से मात्र ₹2,268 भुगतान!
- राज्य हिस्से की ₹415.73 करोड़ राशि 4 से 242 दिन विलंब से जारी

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन (अध्याय III के मुख्य बिंदु)

वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट (AAP&LB) में गंभीर कमियाँ पाई गईं। राज्य सरकार ने कोई बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं कराया, जिससे श्रम की मांग का पूर्व आकलन संभव नहीं हो सका। GRS 2,258 GP में अनुपस्थित पाए गए। राज्य निधि के जारीकरण में 242 दिन तक की देरी हुई।

श्रमिक पंजीयन एवं मजदूरी (अध्याय IV के मुख्य बिंदु)

22 GP में घर-घर सर्वेक्षण नहीं हुआ। 577 डुप्लीकेट जॉब कार्ड पाए गए। बेरोजगारी भत्ता लगभग शून्य रहा। ₹5.88 करोड़ की विलंब क्षतिपूर्ति अवैध रूप से अस्वीकृत की गई। ₹35.32 करोड़ की मजदूरी अभी तक अदत्त है।

कार्य क्रियान्वयन (अध्याय V के मुख्य बिंदु)

2019-24 में स्वीकृत 25.72 लाख कार्यों में से 5.03 लाख अपूर्ण और 7.10 लाख अनारंभ हैं। 2019 से पूर्व के 3.03 लाख अतिरिक्त कार्य भी अपूर्ण हैं। 65% कार्यस्थलों पर नागरिक सूचना बोर्ड अनुपस्थित। ₹541.92 करोड़ की सामग्री देनदारी लंबित।

निगरानी एवं सोशल ऑडिट (अध्याय VI के मुख्य बिंदु)

MSEGC की नियमित बैठकें नहीं हुईं। किसी भी जिले में State Quality Monitor नियुक्त नहीं। सोशल ऑडिट द्वारा चिन्हित 1,084 गबन मामलों में से 314 में ₹4.44 करोड़ की वसूली लंबित है।

अध्याय 1

परिचय

1.1 परिचय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) गारंटीशुदा रोजगार के माध्यम से सुनिश्चित करता है कि समाज के सर्वाधिक कमज़ोर वर्गों को आय और आत्मनिर्भरता के अवसर मिलें, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। यह अधिनियम इस बात का प्रतीक है कि काम केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि सभी के लिए एक **अधिकार** है।

1.2 MGNREGA का विकास

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को भारत सरकार ने सितंबर 2005 में अधिसूचित किया और 2009 में इसे *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम* नाम दिया गया। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक रोजगार गारंटी योजना तैयार करनी थी।

MGNREGA को पहले चरण में फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू किया गया, फिर 2007-08 में 130 अतिरिक्त जिले जोड़े गए और 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू किया गया। भारत सरकार ने इसे सतत विकास लक्ष्य-1 (SDG-1: कोई गरीबी नहीं) के लिए **'core of the core'** योजना घोषित किया है।

1.3 MGNREGA के लक्ष्य

इस अधिनियम के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

MGNREGA के प्रमुख लक्ष्य

- ग्रामीण भारत के सर्वाधिक कमज़ोर लोगों को रोजगार के अवसर देकर सामाजिक सुरक्षा
- टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण, जल सुरक्षा, मिट्टी संरक्षण एवं उच्च भूमि उत्पादकता से गरीबों को आजीविका सुरक्षा
- ग्रामीण भारत में सूखा-निरोधक एवं बाढ़ प्रबंधन उपाय
- महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण
- विकेंद्रीकृत, सहभागी नियोजन एवं पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
- शासन में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही

1.4 महाराष्ट्र में MGNREGA का क्रियान्वयन

महाराष्ट्र में 1977 से *महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम (MEGA)* लागू था। MGNREGA की धारा 28 के अंतर्गत राज्य सरकार ने MEGA को 2014 में संशोधित कर MGNREGA के अनुरूप बनाया — इसे *महाराष्ट्र रोजगार गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2014* कहते हैं। रोजगार गारंटी योजना (EGS) का नाम जुलाई 2011 में बदलकर *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना* किया गया।

राज्य के 36 जिलों में से 34 जिलों में योजना लागू है — पूर्णतः शहरी मुंबई और मुंबई उपनगर जिले इससे बाहर हैं। केंद्र सरकार 100 दिन तक और राज्य सरकार उससे अधिक दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी अपने कोष से देती है।

1.5 वित्त पोषण प्रारूप

यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी है:

निधि प्रारूप

- **अकुशल मजदूरी:** 100% केंद्र सरकार — सीधे DBT से श्रमिकों के खाते में
- **सामग्री + कुशल/अर्धकुशल मजदूरी:** 75% केंद्र + 25% राज्य सरकार
- **प्रशासनिक व्यय (6% तक):** 100% केंद्र सरकार
- **सोशल ऑडिट (0.5%):** 100% केंद्र सरकार
- **बेरोजगारी भत्ता + विलंब क्षतिपूर्ति + SEGC:** 100% राज्य सरकार

₹13,957 करोड़	₹13,518 करोड़	₹439 करोड़
कुल प्राप्त निधि (5 वर्ष)	कुल व्यय (96.85%)	अव्ययित शेष राशि

1.6 NREGASoft एवं GeoMGNREGA

NREGASoft: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और MoRD के सहयोग से विकसित यह वेब-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली है जो श्रमिकों का पंजीयन, जॉब कार्ड, कार्य अनुमान, मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता आदि सभी लेनदेन दर्ज करती है।

GeoMGNREGA: ISRO के NRSC के सहयोग से परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग तीन चरणों में होती है — (1) कार्य प्रारंभ से पूर्व, (2) कार्य के दौरान (30% व्यय पश्चात), (3) कार्य पूर्ण होने के बाद।

अध्याय II

लेखापरीक्षण ढांचा

2.1 लेखापरीक्षण उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजने हेतु आयोजित की गई:

लेखापरीक्षण के 4 प्रमुख उद्देश्य

- क्या नियोजन प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियाँ अधिनियम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त रूप से तैयार थीं?
- क्या रोजगार के अवसरों तक उचित पहुँच सुनिश्चित की गई और रोजगार पर्याप्त मात्रा में सृजित हुआ?
- क्या टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियाँ बनाई और अनुरक्षित की गईं, एवं अभिसरण सुनिश्चित हुआ?
- क्या उचित निगरानी, सोशल ऑडिट और शिकायत निवारण प्रणाली कार्यरत थी?

2.2 लेखापरीक्षण कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षण जून 2024 से अगस्त 2024 तक संचालित किया गया, जिसमें 2019-20 से 2023-24 की अवधि शामिल है। 34 जिलों में से **6 जिले स्तरीय यादृच्छिक प्रतिचयन** पद्धति से कुल व्यय के आधार पर चुने गए। प्रत्येक जिले से 2 ब्लॉक और प्रत्येक ब्लॉक से 4 GP का चयन किया गया।

लेखापरीक्षण में Muster Roll, measurement book, wage bill की जाँच; 336 कार्यस्थलों का भौतिक सत्यापन; एवं 480 जॉब कार्डधारकों का सर्वेक्षण सम्मिलित था।

2.3 पूर्व लेखापरीक्षण निष्कर्ष

महाराष्ट्र में MGNREGS के क्रियान्वयन पर पूर्व में CAG रिपोर्ट संख्या 6 (वर्ष 2013) में पैरा 2.1 में निष्कर्ष शामिल किए गए थे। उस रिपोर्ट पर Public Accounts Committee की सिफारिशें अभी भी प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2025 तक)।

अध्याय III

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन

ग्राम पंचायत योजना एवं क्रियान्वयन की धुरी है। यह एक माँग-आधारित सार्वजनिक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जहाँ कार्य माँग पर खोले जाते हैं। नियोजन की प्रक्रिया में श्रम की संभावित माँग का पूर्व आकलन और उसे पूरा करने हेतु प्रोजेक्टों की तैयारी शामिल है।

3.1 वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट (AAP&LB)

AAP&LB ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की जाती है, फिर ब्लॉक और जिला परिषद स्तर पर समेकित होती है। इसमें माह-वार माँग का पूर्वानुमान और कार्य की अनुसूची शामिल होनी चाहिए।

चूक 1 — बेसलाइन सर्वेक्षण ही नहीं हुआ

MGNREGA परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 6.2 के अनुसार प्रत्येक GP को 5 वर्ष में एक बार जॉब कार्डधारकों का सर्वेक्षण अनिवार्य रूप से करना था ताकि रोजगार की माँग की मात्रा और समय का पूर्व आकलन हो सके। **महाराष्ट्र सरकार ने न तो कोई विशेषज्ञ संस्था नियुक्त की और न ही कोई बेसलाइन सर्वेक्षण कराया।** इसके परिणामस्वरूप 192 AAP&LB में माँग की मात्रा और समय की जानकारी ही अनुपस्थित थी।

चूक 2 — शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट अनुपस्थित

48 चयनित GP के 192 AAP&LB में से **153 (80%)** में प्रोजेक्टों की सूची ही नहीं थी। इससे तदर्थ आधार पर कार्य चयन का गंभीर जोखिम उत्पन्न हुआ।

⚠ चूक 3 — जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं

6 में से किसी भी चयनित जिले में District Perspective Plan (DPP) तैयार नहीं की गई, जबकि अभिसरण कार्य AAP&LB में शामिल थे। Block Resource Centre (BRC) भी राज्य में कहीं नहीं बनाया गया।

⚠ चूक 4 — AAP&LB जमा करने में बड़े विलंब

राज्य श्रम बजट MoRD को प्रति वर्ष **16 से 47 दिन** की देरी से प्रस्तुत किया गया। धाराशिव, CSN और अमरावती जिलों ने तो MoRD को राज्य बजट भेजने के बाद अपना जिला AAP&LB राज्य को सौंपा — यानी क्रम ही उल्टा था।

वर्ष	निर्धारित तिथि	वास्तविक तिथि	विलंब (दिन)
2019-20	10.02.2019	26.02.2019	**16**
2020-21	10.02.2020	02.03.2020	**21**
2021-22	10.02.2021	26.02.2021	**16**
2022-23	10.02.2022	29.03.2022	**47**
2023-24	10.02.2023	20.03.2023	**38**

3.2 कर्मचारियों की उपलब्धता

चूक 5 — GRS की अनुपस्थिति (2,258 GP में)

ग्राम रोजगार सहायक (GRS) ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण क्षेत्र-स्तरीय कार्यकर्ता होता है जो पंजीयन, जॉब कार्ड वितरण, कार्य आवंटन, Gram Sabha, सोशल ऑडिट, उपस्थिति आदि सँभालता है। **28,279 GP में से 2,258 (8%) ऐसे GP जहाँ कार्य हुए, में GRS नहीं था।** चयनित 12 ब्लॉकों के 951 GP में से 13 GP में भी GRS अनुपस्थित था।

⚠ चूक 6 — Mate नियुक्ति में व्यापक चूक

48 में से 26 GP (54%) में 2021-22 से 2023-24 के दौरान Mate नियुक्त नहीं किए गए। महिला Mates केवल 18-19% थीं जबकि न्यूनतम 50% महिलाओं का निर्देश था।

सबसे बड़ी खामी: 124 GP में बिना पंजीकृत Mate के ₹1.99 करोड़ का भुगतान किया गया — यह NREGASoft की प्रणालीगत खामी है।

₹1.99 करोड़ — अपंजीकृत Mates को भुगतान

⚠ चूक 7 — APO और TA की कमी

6 चयनित जिलों में APO की कुल 33 पदों की कमी थी। तकनीकी सहायकों (TA) की अमरावती, CSN और पालघर में 88 पदों की कमी थी। Commissioner ने खुद स्वीकार किया कि स्टाफ की कमी मजदूरी विलंब का एक कारण है।

i चूक 8 — Rozgar Diwas में 45% कमी

5 वर्षों में आयोजित होने वाले 2,880 'रोजगार दिवस' में से केवल 1,573 (55%) हुए। 10 GP में एक भी नहीं हुआ। यह कम भागीदारी का एक कारण हो सकता है।

3.4 वित्तीय प्रबंधन

🚨 चूक 9 — राज्य हिस्से का विलंबित जारीकरण

2022-23 और 2023-24 में जारी सामग्री घटक के ₹926.51 करोड़ में से **₹415.73 करोड़ (45%)** की राशि 4 से 242 दिन की देरी से जारी की गई। 2019-20 से 2021-22 की जानकारी विभाग ने लेखापरीक्षण को नहीं दी। **₹415.73 करोड़ — विलंबित राज्य हिस्सा**

🚨 चूक 10 — ₹1,736 करोड़ की देनदारी लंबित

मार्च 2024 तक अकुशल मजदूरी (₹761.05 करोड़) और सामग्री (₹975.58 करोड़) की कुल **₹1,736.63 करोड़** देनदारी लंबित थी। यह राशि सितंबर 2025 तक घटकर ₹230.72 करोड़ हुई। **₹1,736.63 करोड़ — मार्च 2024 तक**

अध्याय III — निष्कर्ष

बेसलाइन सर्वेक्षण न होने से माँग का आकलन संभव नहीं हुआ। AAP&LB में मांग की मात्रा, समय और प्रोजेक्ट सूची का अभाव रहा। 2,258 GP में GRS नहीं होने से जमीनी क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने में विलंब से कार्य प्रभावित हुए।

✅ सिफारिश 1 व 2

✓ **सिफारिश 1:** वार्षिक कार्य योजना में माँग की मात्रा और समय के आकलन हेतु बेसलाइन सर्वेक्षण तत्काल कराया जाए।

✓ **सिफारिश 2:** ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन और निगरानी क्षमता सुदृढ़ करने के लिए सभी GP में GRS नियुक्त किए जाएं।

अध्याय IV

श्रमिकों का पंजीयन एवं मजदूरी भुगतान

117.98 लाख औसत पंजीकृत परिवार (5 वर्ष)	**21.97 लाख** **(19%)** रोजगार मांगने वाले परिवार	**1.71 लाख** **(8.70%)** 100 दिन+ रोजगार पाने वाले

2019-20 से 2023-24 में पंजीकृत परिवारों में 46% की वृद्धि हुई। मांगने वाले 21.97 लाख (औसत) में से 21.91 लाख (99.73%) को रोजगार मिला। किंतु वास्तव में 100 दिन+ का लाभ उठाने वाले केवल 8.70% थे।

4.1 पंजीयन संबंधी कमियाँ

🚨 चूक 11 — घर-घर सर्वेक्षण 22 GP में नहीं

48 में से **22 GP (46%)** में योजना के अंतर्गत परिवारों की पहचान हेतु घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया। 47/48 GP में आवेदन रजिस्टर अद्यतन नहीं था।

⚠ चूक 12 — डुप्लीकेट जॉब कार्ड एवं देरी

44 GP में **577 डुप्लीकेट** जॉब कार्ड पाए गए — एक ही परिवार के मुखिया के नाम पर एक से अधिक कार्ड। NREGASoft में इसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। 15,077 पंजीकृत परिवारों में से 7,771 (52%) के जॉब कार्ड निर्धारित समय के बाद जारी हुए।

4.2 बेरोजगारी भत्ता — गंभीर चूक

🚨 चूक 13 — ₹34.85 लाख में केवल ₹2,268 का भुगतान!

MEGA के अनुसार जब 15 दिन के भीतर रोजगार न मिले तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य है। NREGASoft ने 2019-24 में ₹34.85 लाख की गणना की। किंतु **मात्र ₹2,268** का ही भुगतान हुआ। यह संवैधानिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। **₹34,85,000 में से ₹2,268 भुगतान — 0.0065%!**

4.3 मजदूरी भुगतान में अनियमितताएँ

🚨 चूक 14 — ₹5.88 करोड़ विलंब क्षतिपूर्ति अवैध रूप से अस्वीकृत

Joint Program Officers ने ₹5.88 करोड़ की विलंब क्षतिपूर्ति को *प्राकृतिक आपदा* और *क्षतिपूर्ति देय नहीं* के आधार पर अस्वीकृत किया — जबकि MEGA में ऐसे अस्वीकरण का कोई प्रावधान ही नहीं है। न ही NREGASoft में विलंब पर विलंब क्षतिपूर्ति की गणना की व्यवस्था है। **₹5.88 करोड़ — अवैध अस्वीकरण**

🚨 चूक 15 — ₹35.32 करोड़ मजदूरी अभी अदत्त

अकुशल श्रमिकों की **₹35.32 करोड़** की मजदूरी अक्टूबर 2024 तक भुगतान लंबित थी। **₹35.32 करोड़**

⚠ चूक 16 — महिलाओं हेतु अलग दर-सूची नहीं

MEGA के अनुसार महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगों हेतु अलग दर-सूची (Schedule of Rates) तैयार की जानी थी — राज्य सरकार ने यह कभी नहीं बनाई।

🚨 चूक 17 — PMAY के बाद अनियमित भुगतान ₹51.82 लाख

48 चयनित GP में PMAY के अंतर्गत कार्य पूर्ण होने की **तिथि के बाद भी** Muster Roll बनाई गई और श्रमिकों को ₹51.82 लाख का भुगतान किया गया — यह धनराशि का दुरुपयोग है। **₹51.82 लाख — PMAY के बाद अनियमित**

अध्याय IV — निष्कर्ष

पंजीयन में घर-घर सर्वेक्षण का अभाव, डुप्लीकेट जॉब कार्ड, जॉब कार्ड जारी करने में देरी जैसी कमियाँ पाई गईं। बेरोजगारी भत्ता व विलंब क्षतिपूर्ति का न्यूनतम भुगतान MEGA के स्पष्ट उल्लंघन को दर्शाता है।

✅ सिफारिश 3, 4 व 5

✓ **सिफारिश 3:** MEGA में निर्धारित समय सीमा में जॉब कार्ड जारी करने और डुप्लीकेट कार्ड हटाने के निर्देश दिए जाएं।

✓ **सिफारिश 4:** बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी विलंब पर क्षतिपूर्ति MEGA के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

✓ **सिफारिश 5:** PMAY कार्य पूर्ण होने के बाद Muster Roll जनरेट न हो, इसके लिए उचित तंत्र स्थापित किया जाए।

अध्याय V

कार्यों का क्रियान्वयन

योजना का मुख्य उद्देश्य माँग के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार देते हुए **टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियाँ** बनाना है। कार्य चार श्रेणियों में विभाजित हैं: (A) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, (B) सामुदायिक/व्यक्तिगत परिसंपत्तियाँ, (C) सामान्य अवसंरचना, (D) ग्रामीण अवसंरचना।

5.1 कार्यों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण (%)	अपूर्ण (%)	शुरू नहीं (%)
2019-20	3,20,636	**2,61,584 (82%)**	13,851 (4%)	45,201 (14%)
2020-21	4,57,873	**3,70,655 (81%)**	26,827 (6%)	60,391 (13%)
2021-22	5,28,983	3,20,039 (61%)	66,098 (12%)	1,42,846 (27%)
2022-23	5,08,623	**2,28,844 (45%)**	1,30,094 (26%)	1,49,685 (29%)
2023-24	7,56,314	**1,77,428 (23%)**	2,66,516 (35%)	3,12,370 (41%)
कुल	**25,72,429**	**13,58,550 (52.81%)**	**5,03,386 (19.57%)**	**7,10,493 (27.62%)**

🚨 चूक 18 — 8.06 लाख कार्य अपूर्ण (कुल)

5.03 लाख (2019-24 के) + 3.03 लाख (2019 से पूर्व के) = **8.06 लाख कार्य अपूर्ण**। 1.07 लाख कार्य 3 वर्षों से अधिक समय से अटके हैं। इनमें सिंचाई सुविधाएँ, सूखा-निरोधक कार्य, ग्रामीण संपर्क सड़क आदि शामिल हैं।
बागवानी कार्यक्रम में 4 जिलों में 28,583 में से 15,009 (52%) कार्य अपूर्ण; 3,474 कार्य बंद करने का प्रस्ताव — ₹17.92 करोड़ व्यय व्यर्थ हो जाएगा।

₹17.92 करोड़ — बंद होने वाले अपूर्ण कार्य

🚨 चूक 19 — Cap नहीं, नए कार्यों की भरमार

राज्य सरकार ने GP में एक साथ खोले जा सकने वाले कार्यों की **कोई सीमा (Cap) नहीं** लगाई। 2023-24 में 5.04 लाख कार्य अधूरे थे, फिर भी 4.44 लाख नए कार्य खोले गए। 15/48 GP में तो अधूरे कार्यों की संख्या नए कार्यों से अधिक थी।

⚠ चूक 20 — 65% स्थलों पर सूचना बोर्ड नहीं

336 कार्यस्थलों के भौतिक सत्यापन में **219 (65%)** पर नागरिक सूचना बोर्ड (Citizens' Information Board) अनुपस्थित थे — यह पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन है।

⚠ चूक 21 — ₹541.92 करोड़ सामग्री देनदारी लंबित

कुशल मजदूरी, सामग्री लागत व करों की **₹541.92 करोड़** की देनदारी अक्टूबर 2024 तक लंबित थी, जिसमें ₹106.83 करोड़ 1 से 4 वर्षों से लंबित था। ₹541.92 करोड़

⚠ चूक 22 — कृषि कार्यों पर व्यय 60% से कम

MGNREGA में 60% व्यय कृषि व संबद्ध कार्यों पर अनिवार्य है। 6 में से 5 जिलों में यह अनुपात कम रहा। पालघर में 17%-39% तक गिरा। राज्य सरकार ने जुलाई 2014 का यह संशोधन MEGA में अभी तक नहीं जोड़ा।

i चूक 23 — Geo-tagging 30% लंबित

अगस्त 2024 तक **30% कार्यों की जियो-टैगिंग** विभिन्न चरणों में अपूर्ण थी। सितंबर 2025 तक भी 27% लंबित रही।

5.2 भौतिक सत्यापन — गुणवत्ता दोषों के उदाहरण

CSN जिला — कुएं की दीवार ढही

पैथन ब्लॉक के घारेगाँव GP में ₹2.92 लाख से निर्मित सिंचाई कुएं की RCC दीवार, पूर्ण होने के मात्र 15 माह बाद ढह गई — खराब गुणवत्ता का स्पष्ट प्रमाण।

पालघर जिला — सड़कें बारिश में बह गईं

दहानू और विक्रमगढ़ ब्लॉक में कई सड़कें — जिन पर ₹3.97 लाख से ₹8.78 लाख तक व्यय हुआ — बारिश से क्षतिग्रस्त या बह गईं, जिससे सर्वऋतु संपर्क का उद्देश्य विफल हुआ।

धाराशिव जिला — रेशम कीट पालन कार्य विफल

शेलका GP में ₹2.35 लाख के रेशम कीट पालन कार्य में न रेशम कीट थे और न शेड उपयोग में था — परिसंपत्ति पूर्णतः व्यर्थ।

अध्याय V — निष्कर्ष

स्वीकृत कार्यों का 19.57% अपूर्ण और 27.62% अनारंभ। 2019 पूर्व के 3.03 लाख अतिरिक्त अपूर्ण कार्य भी हैं। Cap न होने से अपूर्ण और अनारंभ कार्यों का अंबार लगता जा रहा है। यह नियोजन और क्रियान्वयन नियंत्रण की कमज़ोरी दर्शाता है।

✅ सिफारिश 6

✓ **सिफारिश 6:** ग्राम पंचायतों में नए कार्यों की स्वीकृति हेतु विहित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएं।

अध्याय VI

निगरानी, सोशल ऑडिट एवं शिकायत निवारण

योजना की निगरानी में राज्य रोजगार गारंटी परिषद (SEGC), सोशल ऑडिट, सतर्कता और निगरानी समिति (VMC), State Quality Monitor (SQM) और District Quality Monitor शामिल हैं।

6.1 महाराष्ट्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद (MSEGC)

🚨 चूक 24 — MSEGC की बैठकें नहीं

MEGA की धारा 4 के अंतर्गत MSEGC का गठन जनवरी 2006 और पुनर्गठन अक्टूबर 2011 में हुआ। परिषद को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी थी। **परिषद की नियमित बैठकें नहीं हुईं और कोई सुझाव भी नहीं दिए गए।**

6.2 सतर्कता और निगरानी समिति

⚠ चूक 25 — 3 जिलों में जिला सतर्कता समिति नहीं

नागपुर, पालघर और CSN — तीन जिलों में जिला सतर्कता समिति का गठन नहीं किया गया। राज्य-स्तरीय सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन के दस्तावेज भी लेखापरीक्षण को नहीं दिए गए।

6.3 गुणवत्ता नियंत्रण

🚨 चूक 26 — किसी भी जिले में SQM नहीं

2022 में State Quality Monitor (Director) नियुक्त हुए, किंतु जिला स्तर पर SQM किसी भी जिले में नियुक्त नहीं हुए। वित्त विभाग ने प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया। 4 आदिवासी जिलों में 2022-23 में TPI एजेंसी नियुक्त हुई, परंतु अमरावती में एक भी निरीक्षण नहीं हुआ।

6.4 सोशल ऑडिट

MEGA के अनुसार प्रत्येक 6 माह में प्रत्येक GP में एक सोशल ऑडिट अनिवार्य है। महाराष्ट्र स्टेट सोसायटी फॉर सोशल ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी (MS-SST) सितंबर 2013 में स्थापित हुई।

🚨 चूक 27 — 72%-96% GP में सोशल ऑडिट नहीं

2019-24 में सोशल ऑडिट कराए गए GP का कुल GP से अनुपात:

वर्ष	GP नियोजित	SA हुए	कुल GP में से कमी
2019-20	5,824	5,637	**80.07%**
2020-21	4,276	7,796*	**72.43%**
2021-22	4,858	3,140	**88.90%**
2022-23	12,964	1,224	**95.67%**
2023-24	3,331	3,331	**88.22%**

* 2020-21 में बकाया ऑडिट पूरे किए

48 चयनित GP में 5 वर्षों में केवल 25 सोशल ऑडिट — अहिल्यानगर के 8 GP में एक भी नहीं।

🚨 चूक 28 — ₹26.52 करोड़ सोशल ऑडिट निधि कम मिली

2020-21 से 2023-24 में MS-SST को **₹26.52 करोड़** कम राशि मिली। राज्य सरकार ने ₹13.90 करोड़ की राशि 12 से 69 दिन की देरी से जारी की। ₹3.72 लाख का ब्याज भी नहीं दिया। **₹26.52 करोड़ — कम प्राप्त**

🚨 चूक 29 — ₹4.44 करोड़ गबन वसूली लंबित

2019-24 में सोशल ऑडिट द्वारा चिन्हित **1,084 गबन मामलों** में कुल ₹11.22 करोड़ की वसूली अपेक्षित थी। किंतु 314 मामलों में ₹4.44 करोड़ की वसूली की कार्यवाही अभी भी लंबित है। **₹4.44 करोड़ / 314 मामले — वसूली लंबित**

⚠ चूक 30 — कार्यस्थल सुविधाओं का अभाव

480 लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम:

- **38%** ने बताया — बाल देखभाल सुविधा नहीं थी
- **25%** ने बताया — प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स नहीं था
- **19%** ने बताया — छाया उपलब्ध नहीं थी
- **11%** ने बताया — पेयजल सुविधा नहीं थी

i चूक 31 — मूल्यांकन अध्ययन नहीं

योजना के आजीविका सुरक्षा एवं आय स्तर पर प्रभाव का कोई मूल्यांकन अध्ययन राज्य सरकार ने नहीं कराया।

अध्याय VI — निष्कर्ष

MSEGC की नियमित बैठकें नहीं हुई। जिला गुणवत्ता मॉनीटर नियुक्त नहीं हुए। सोशल ऑडिट में 72%-96% GP अनाच्छादित रहे। सोशल ऑडिट के लिए निधि का अभाव एक प्रमुख कारण है। गबन मामलों में वसूली अत्यंत धीमी। कार्यस्थल पर न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध नहीं।

✅ सिफारिश 7 व 8

✓ **सिफारिश 7:** सभी जिलों में State Quality Monitors की नियुक्ति त्वरित की जाए।

✓ **सिफारिश 8:** विहित मानदंडों के अनुसार सोशल ऑडिट कराए जाएं और MEGA के अनुसार गबन की वसूली शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

परिशिष्ट

संपूर्ण सिफारिशें — एकत्रित सूची

निष्पादन लेखापरीक्षा के आधार पर CAG द्वारा महाराष्ट्र सरकार को निम्नलिखित **8 सिफारिशें** दी गई हैं:

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन (अध्याय III)

- ✓ **सिफारिश 1 (नियोजन):** सरकार को वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट में माँग की मात्रा व समय का आकलन सुनिश्चित करने के लिए **बेसलाइन सर्वेक्षण** तत्काल कराने हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए।
- ✓ **सिफारिश 2 (GRS):** सरकार को सभी ग्राम पंचायतों में **ग्राम रोजगार सहायकों (GRS)** की नियुक्ति हेतु कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और निगरानी क्षमता सुदृढ़ हो।

श्रमिक पंजीयन एवं मजदूरी (अध्याय IV)

- ✓ **सिफारिश 3 (जॉब कार्ड):** सरकार को सभी GP को MEGA में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जॉब कार्ड जारी करने के निर्देश देने चाहिए तथा **डुप्लीकेट जॉब कार्ड हटाने** हेतु तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।
- ✓ **सिफारिश 4 (भत्ता):** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि MEGA के प्रावधानों के अनुसार **बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी विलंब पर क्षतिपूर्ति** का भुगतान किया जाए।
- ✓ **सिफारिश 5 (PMAY):** सरकार को PMAY के तहत कार्य पूर्णता तिथि के बाद **Muster Roll जनरेट होने से रोकने** के लिए उचित तंत्र सुदृढ़ करना चाहिए।

कार्य क्रियान्वयन (अध्याय V)

- ✓ **सिफारिश 6 (कार्य स्वीकृति):** सरकार को GP में **नए कार्यों की स्वीकृति** हेतु विहित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करने चाहिए।

निगरानी एवं सोशल ऑडिट (अध्याय VI)

- ✓ **सिफारिश 7 (SQM):** सरकार को सभी जिलों में **State Quality Monitors** की नियुक्ति त्वरित करनी चाहिए।
- ✓ **सिफारिश 8 (सोशल ऑडिट):** सरकार को विहित मानदंडों के अनुसार **सोशल ऑडिट** कराने चाहिए तथा सोशल ऑडिट इकाई द्वारा इंगित वित्तीय गबन की वसूली MEGA के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र सुनिश्चित करनी चाहिए।

यह हिंदी विस्तृत सारांश/अनुवाद संदर्भ हेतु है। मूल अंग्रेजी/मराठी रिपोर्ट ही प्रामाणिक है।